

उधार पर राज्य की गारंटी पर दशा-नरिदेश

प्रलिम्स के लिये:

उधार पर राज्य की गारंटी पर RBI के दशा-नरिदेश, [भारतीय रज़िर्व बैंक \(RBI\)](#), [भारतीय संवदि अधनियिम, 1872](#)।

प्रलिम्स के लिये:

उधार पर राज्य की गारंटी पर RBI के दशा-नरिदेश।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय रज़िर्व बैंक \(RBI\)](#) द्वारा गठित एक कार्य समूह ने [राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटी से संबंधित](#) मुद्दों के समाधान के लिये कुछ सफ़िररशें की हैं।

- जुलाई 2022 में आयोजित राज्य वतित सचवियों के 32वें सम्मेलन के दौरान कार्य समूह का गठन किया गया।

गारंटी क्या है?

परचिय:

- भुगतान करने और कसिी नविशक/ऋणदाता को उधारकर्त्ता द्वारा डफिऑल्ट के जोखमि से बचाने के लिये 'गारंटी' राज्य हेतु एक कानूनी दायतिव है।
- [भारतीय संवदि अधनियिम, 1872](#) के अनुसार, एक गारंटी, कसिी तीसरे व्यक्तिके डफिऑल्ट के मामले में "वादा पूरा करने या दायतिव का नरिवहन करने" का एक अनुबंध है। इसमें तीन पक्ष शामिल हैं: **परमुख देनदार, लेनदार और ज़मानतदार**।
 - लेनदार:** वह संस्था जसिे गारंटी दी गई है। यह वह पक्ष है जसिे भुगतान देय है और वे गारंटी द्वारा सुरक्षित हैं।
 - परमुख देनदार:** वह संस्था जसिकी ओर से गारंटी दी गई है। यह वह पार्टी है जसि पर क़र्ज़ बकाया या देनदारी है।
 - ज़मानतदार:** गारंटी प्रदान करने वाली इकाई (इस संदर्भ में राज्य सरकारें), जो वादा पूरा करने या डफिऑल्ट के मामले में मुख्य देनदार की देनदारी का नरिवहन करने का वादा करती है।
 - यदि गारंटीकर्त्ता डफिऑल्ट करता है तो वह वादा पूरा करने या **परमुख देनदार की देनदारी का नरिवहन करने के लिये कानूनी दायतिव** लेता है।
- एक गारंटी को 'कषतपूरत' अनुबंध के साथ भ्रमति नहीं किया जाना चाहिये जो ऋणदाता को वचनकर्त्ता/प्रॉमसिस (या मूल देनदार) के आचरण से होने वाले नुकसान से बचाता है।

चत्िरण (Illustration):

- यदि A, B को कुछ सामान या सेवाएँ वतित करता है और B सहमत भुगतान नहीं करता है, तो B चूककर्त्ता है तथा उस पर ऋण के लिये मुकदमा दायर होने का जोखमि है।
- जब C आगे आता है और वादा करता है किवह B के लिये भुगतान करेगा। A मना करने के अनुरोध से सहमत है। C की कार्रवाई एक गारंटी का गठन करती है।

गारंटी का उद्देश्य:

- राज्य स्तर पर, गारंटियों का उपयोग आमतौर पर तीन स्थतियों में किया जाता है।
 - रधियती ऋण की मांग:** सार्वजनिक कषेत्र के उद्यमों के लिये द्वपिकषीय या बहुपकषीय एजेंसियों से रधियती ऋण की मांग करते समय, अक्सर **संप्रभु गारंटी** की आवश्यकता होती है।
 - परयोजनाओं की व्यवहार्यता में सुधार के लिये:** महत्त्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक लाभ का वादा करने वाली **परयोजनाओं की व्यवहार्यता सुधार हेतु गारंटियों** नयोजित की जाती हैं।
 - कम ब्याज पर संसाधनों को सुरक्षित करना:** सार्वजनिक कषेत्र के उद्यम कम ब्याज दरों अथवा अधिक अनुकूल शर्तों पर संसाधनों को सुरक्षित करने के लिये गारंटी का उपयोग कर सकते हैं।

■ गारंटी से संबंधित जोखिम:

- उपयुक्त समय में गारंटियाँ उपयोगी होती हैं कति इनके उपयोग से राजकोषीय जोखिम उत्पन्न होता है।
- कार्य-दल की रपिर्त के अनुसार गारंटी के मामले में आमतौर पर अग्रिम नकद भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है जिसके परिणामस्वरूप इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- गारंटी ट्रगिर तथा संबंधित लागतों का अनुमान लगाना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है जिससे इस प्रथा से अप्रत्याशित नकदी बहरिवाह हो सकता है एवं राज्य के लिये ऋण में वृद्धि हो सकती है।
- वाणजियिक बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिये राज्य सरकारें अक्सर राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों, सहकारी संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों जैसी वभिनिन संस्थाओं की ओर से गारंटी प्रदान करने के लिये बाध्य होती है।
 - राज्य द्वारा गारंटी दिये जाने के बदले में ये संस्थाएँ राज्य सरकार को गारंटी कमीशन अथवा शुल्क का भुगतान करती हैं।

गारंटी के संबंध में RBI कार्य-दल की प्रमुख अनुशंसाएँ क्या हैं?

■ गारंटी की परिभाषा:

- कार्य-दल के अनुसार गारंटी शब्द का उपयोग व्यापक अर्थ में किया जाना चाहिये तथा इनमें वे सभी कारक शामिल होने चाहिये जिनके अंतर्गत उधारकरता द्वारा भविष्य में भुगतान करने में वफिल रहने की दशा में गारंटीकरता (राज्य) द्वारा उसके ऋण भुगतान के दायित्व का नरिवहन किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त राजकोषीय जोखिम का आकलन करने के लिये राज्य को सशर्त अथवा शर्त रहति अथवा वित्तीय अथवा नषिपादन गारंटी के बीच अंतर स्पष्ट करना चाहिये।
 - ये सशर्त देनदारियाँ हैं जो भविष्य में संभावित जोखिम पेश कर सकती हैं।

■ केवल मूल ऋण के लिये गारंटी:

- सरकारी गारंटी का उपयोग राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं के माध्यम से वित्त प्राप्त करने के लिये नहीं किया जाना चाहिये जो राज्य सरकार के बजटीय संसाधनों के विकल्प के रूप में कार्य करती हैं।
 - इसके अतिरिक्त गारंटी का उपयोग करके राज्य पर प्रत्यक्ष दायित्व/वस्तुतः दायित्व बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
- संबद्ध वषिय में भारत सरकार के दशिया-नरिदेशों का अनुपालन किया जाना चाहिये जो यह नरिधारति करते हैं कि गारंटी केवल मूल राशित्वा अंतरनहित ऋण के सामान्य ब्याज के लिये प्रदान की जानी चाहिये।
- बाह्य वाणजियिक उधार (External Commercial Borrowings) के लिये गारंटी नहीं दी जानी चाहिये, परियोजना ऋण के 80% से अधिक के लिये गारंटी दी जानी चाहिये (ऋणदाता द्वारा लगाई गई शर्तों के आधार पर) और साथ ही नरिजी क्षेत्र की कंपनियों तथा संस्थानों को गारंटी प्रदान नहीं किया जाना चाहिये।
- उचित पूर्व शर्तों जैसे कि गारंटी की अवधि, जोखिम को कवर करने के लिये (गारंटी) शुल्क लगाना, उधार लेने वाली इकाई के प्रबंधन बोर्ड में सरकारी प्रतिनिधित्व तथा अंकेक्षण का अधिकार आदि नरिदषिट किया जाना चाहिये।

■ जोखिम नरिधारण, शुल्क तथा उच्चतम सीमा:

- कार्य-दल द्वारा अनुशंसा की गई है कि राज्य संबद्ध इकाई के वगित व्यतिक्रम (Default) इतिहास को ध्यान में रखते हुए गारंटी से जुड़े जोखिम का आकलन उच्च, मध्यम अथवा नमिन जोखिम के रूप में वर्गीकृत करके किया जाना चाहिये।
 - इन जोखिम भाओं को नरिदषिट करने के लिये उपयोग की जाने वाली पद्धति पारदर्शी और सुस्पष्ट होनी चाहिये।
 - जोखिम मूल्यांकन के आधार पर न्यूनतम गारंटी शुल्क न्यूनतम 2.5% प्रतिवर्ष नरिधारति किया जाना चाहिये।
- यह रपिर्त इस बात पर बल देती है कि गारंटी लागू करने से राज्य सरकार पर काफी वित्तीय दबाव पड़ सकता है।
 - संभावित तनाव को कम करने के लिये, समूह ने गारंटियों पर एक सीमा लगाने का प्रस्ताव किया है, जो उनर्राजसव प्राप्तियों (Revenue Receipts) के 5% या सकल राज्य घरेलू उत्पाद (Gross State Domestic Product - GSDP) के 0.5%, जो भी कम हो, तक सीमाति कर देगा।

■ प्रकटीकरण एवं प्रतिबद्धताओं का सम्मान:

- समूह की सफिरशि है कि आरबीआई को बैंकों/NBFC को राज्य सरकार की गारंटी के साथ राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं को दिये गए ऋण का खुलासा करने का सुझाव देना चाहिये।
- रपिर्त में वसितारति गारंटी को ट्रैक करने के लिये एक व्यापक डेटाबेस की आवश्यकता पर बल दिया गया है, इस उद्देश्य के लिये राज्य स्तर पर एक इकाई के नरिमाण का प्रस्ताव भी है।
- संभावित जोखिमों को स्वीकार करते हुए, रपिर्त इस बात पर प्रकाश डालती है कि गारंटी का सम्मान करने में देरी राज्य सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकती है और कानूनी जोखिम पैदा कर सकती है।
- यह राज्यों को प्रतिबद्धताओं को पूरा न करने के इतिहास वाली संस्थाओं को वित्त प्रदान करते समय सतर्क रहने की सलाह देता है।
- इसके अतिरिक्त, रपिर्त ऋणदाताओं और नरिषकों के बीच वरिष्वसनीयता बनाए रखने के लिये गारंटी का तुरंत सम्मान करने के महत्त्व पर बल देती है।

सरकार द्वारा दी गई वभिनिन गारंटियाँ क्या हैं?

- धन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान, नकद ऋण सुवधि, मौसमी कृषि कार्यों के वित्तपोषण तथा कंपनियों, नगिम सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों के संबंध में कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिये RBI, अन्य बैंकों व वित्तीय संस्थानों (भारतीय औद्योगिक वित्त नगिम, भारतीय बीमा नगिम, भारतीय युनटि ट्रसट) को दी गई गारंटी।
- धन की अदायगी, ब्याज के भुगतान आदिके लिये भारत सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ किये गए समझौतों के

अनुसरण में दी गई गारंटी।

- बैंकों द्वारा कंपनियों/नगिमों के पक्ष में क्रेडिट आधार पर की गई आपूर्ति/सेवाओं के लिये वदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं को प्राधिकार पत्र जारी करने पर वचिार करते हुए बैंकों को जवाबी गारंटी।
- कंपनियों/नगिमों द्वारा बकाया/माल ढुलाई शुल्क के उचति और समय पर भुगतान के लिये रेलवे/राज्य वदियुत बोर्डों को दी गई गारंटी। (पछिले कुछ वर्षों से शून्य)
- भारतीय कंपनियों या वदेशी कंपनियों को वदेशों में कयि गए अनुबंधों/परयोजनाओं की पूर्तिके लिये दी गई परदर्शन की गारंटी। (पछिले कुछ वर्षों से शून्य)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/guidelines-on-state-guarantees-on-borrowings>

